


2021
416



सरवर्क
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
आ० पत्र	338 2021	15-12-21	रूपाहेली खुर्द			



अनवान

श्री प्रवीण महाजन बनाम श्री राज० रा०
(बनेड़ा राज० रा० की मा० के०)




रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय, निवेदन है कि उपरोक्त के हाथ में दिनांक 27/10/21
के माध्यम से हाथ में आया गया है जिनके शुद्धि भी
जाना अविरत है


H.C. 27/10/21
ज.अ.नि. / उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला

27/10/21


रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

बाद Report पटवारी एवं जांच 1.2 शुद्धि किया जाता अविरत है


27/10/21
तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला भोलवाड़ा

आदेश

तहसीलदार बनेड़ा की अधिशंका के अनुसार पुस्तकित
शुद्धि की जाने के आदेश दिये जा रहे हैं


शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर [redacted] जिला [redacted]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प [redacted] खुद

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी [redacted]
व भू.अ.नि. [redacted] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [redacted] / नायब
तहसीलदार [redacted] की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम [redacted] तहसील [redacted] व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2018 में खाता संख्या [redacted] में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	[redacted]	188	अजफेर [redacted] 250	बसंत राज [redacted] 250

15/10
शिविर प्रभारी

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
प्रशासन लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 25/10/2021

क्रमांक:- 90
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार [redacted] को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री [redacted] को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

15/10
शिविर प्रभारी

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
प्रशासन लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,